



कार्यालय पुलिस उपायुक्त, काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी।

प्रेस-नोट

दिनांक- 13.09.2024

**विषय:- चोरी के अभियोग से सम्बन्धित 02 अभियुक्तगण थाना रामनगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार, चोरी की सरिया (छड) व घटना में प्रयुक्त ऑटो बरामद ।**

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी महोदय द्वारा अपराधों की रोकथाम के मद्देनजर चोरी/लूट की घटनाओं के सफल अनावरण एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त काशी ज़ोन के निर्देशन में, अपर पुलिस उपायुक्त काशी ज़ोन के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त चेतगंज व प्रभारी निरीक्षक रामनगर के नेतृत्व में थाना रामनगर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 12/09/2024 को अभियुक्तगण आकाश साहनी पुत्र सोमारू साहनी निवासी बंधा रोड थाना रामनगर वाराणसी व गोलू कुमार पुत्र कैलाश हरिजन निवासी कोनियां थाना आदमपुर वाराणसी आटो संख्या UP65 KT 4286 से चोरी की 6 पीस वाल की सरिया लादकर जाते समय अलकनन्दा एसोसिएट के लेबर व कर्मचारी द्वारा पकड़े जाने पर वादी मुकदमा श्री अशोक सिंह पुत्र स्व0 महेश प्रसाद सिंह निवासी- डी 47/157 रामापुरा लक्सा वाराणसी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-0171/2024 धारा 303(2)/317(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत कर अभियुक्तगण उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रामनगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**घटना का विवरण-** दिनांक- 12/09/2024 को वादी मुकदमा श्री अशोक सिंह पुत्र स्व0 महेश प्रसाद सिंह निवासी डी 47 / 157 रामापुरा लक्सा वाराणसी द्वारा दिये गये लिखित तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण 1.आकाश साहनी पुत्र सोमारू साहनी निवासी बंधा रोड थाना रामनगर वाराणसी 2.गोलू कुमार पुत्र कैलाश हरिजन निवासी कोनियां थाना आदमपुर वाराणसी के पास से आटो संख्या UP65 KT 4286 पर चोरी की 6 पीस वाल की सरिया ले जाते समय पकड़े जाने पर वादी मुकदमा श्री अशोक सिंह उपरोक्त बनाम 1.आकाश साहनी 2.गोलू कुमार के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-0171/2024 धारा 303(2)/317(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**घटनास्थल व बरामदगी का विवरण-** स्थान- बाबा अवधूत रामहाल्ट सूजाबाद के पास, 06 पीस वाल सरिया व घटना में प्रयुक्त ऑटो बरामद।

**विवरण पूछताछ-** अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि हम दोनो बाबा अवधूत रामहाल्ट में अलकनन्दा एसोसिएट द्वारा रिटेलिंग वाल का निर्माण कार्य किया जा रहा है वही से हम दोनों आटो संख्या UP65 KT 4286 पर चोरी से 6 पीस वाल की सरिया लादकर जा रहे थे कि अलकनन्दा एसोसिएट में कार्य करने वालों में मुझे पकड़ लिया और थाने पर लेकर आये।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

- 1- आकाश साहनी पुत्र सोमारू साहनी निवासी बंधा रोड थाना रामनगर वाराणसी उम्र 24 वर्ष।
- 2- गोलू कुमार पुत्र कैलाश हरिजन निवासी कोनियां थाना आदमपुर वाराणसी उम्र 19 वर्ष।

**गिरफ्तारी / पुलिस कार्यवाही करने वाली टीम का विवरण-**

- 1- उ0नि0 श्री उमेश कुमार राय चौकी प्रभारी सूजाबाद थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।
- 2- श्री अशोक सिंह पुत्र स्व0 महेश प्रसाद सिंह निवासी डी 47 / 157 रामापुरा लक्सा वाराणसी
- 3- रवि सिंह पुत्र एलम सिंह निवासी वाह थाना वाह जिला आगरा

सोशल मीडिया सेल  
पुलिस उपायुक्त काशी ज़ोन  
कमिश्नरेट वाराणसी।